संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

क्रमांक :– 09/नर्सिंग/सेल–1एस/2019/ भोपाल, दिनॉक / / 2019

//आदेश//

श्रीमती रामेश्वरी दवने स्टाफ नर्स के पद पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ थी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल–1/19/273 दिनॉक 23-02-2019 द्वारा श्रीमती रामेश्वरी दवने को जिला चिकित्सालय बालाघाट से युक्तियुक्तकरण के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के अधीन पदस्थ किया गया जिससे व्यथित होकर श्रीमती रामेश्वरी दवने ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका डब्लू.पी. 5076/2019 प्रस्तुत की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 11-03-2019 को याचिका डिस्पोज करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये :–

The petitioner is aggrieved by the order dated 23.02.2019 passed by respondent No.2 whereby her services have been transferred and her name is included in the list of surplus staff nurse. Though the petitioner has submitted representation dated 1.3.2019 (Annexure P/6) in this regard, but till date the same has not been decided by the respondents.

Under these circumstances, respondents are directed to decide the representation of the petitioner dated 1.3.2019 (Annexure P/6) in accordance with law within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case. Accordingly, the petition stands disposed of.

श्रीमती रामेश्वरी दवने द्वारा उक्त युक्तियुक्तकरण को निरस्त करने के लिये अभ्यावेदन दिनॉक निल प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन में श्रीमती रामेश्वरी दवने ने लेख किया कि आवेदिका जिला चिकित्सालय बालाघाट में सिविल सर्जन के अधीन स्थानांतरित होकर 02-08-2017 से पदस्थ है। आवेदिका के पति का गृह क्षेत्र बालाघाट है तथा सास ससुर भी साथ में रहते है, जिनका स्वास्थ्य नियमित खराब रहता है तथा देखभाल आवेदिका द्वारा ही की जाती है। आवेदिका के दो छोटे बच्चे है जिनकी देखभाल भी उसी के द्वारा की जाती है। यदि प्राथिया को जिले के अंदरूनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सेवाए देने हेतु आदेशित किया जाता है तो छोटे बच्चों एवं सास सुसर की देखभाल व इलाज में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत याचिकाकर्ता का स्थानांतरण निरस्त किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं सहपत्रों को संज्ञान में लेते हुए याचिकार्ता को संचालक प्रशासन के समक्ष में दिनॉक 18.06.2019 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया ।

उक्त युक्तियुक्तकरण एच.आर.एम.आई.एस के तहत प्राप्त स्टाफ नर्स की जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बालाघाट में 124 स्वीकृत पद के विरूद्ध 138 स्टाफ नर्सेस पदस्थ थी अर्थात 14 स्टाफ नर्सेस अतिशेष (अधिसंख्या) में पदस्थ थी । वही दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन मैदानी स्तर पर 17 स्टाफ नर्स के पद रिक्त थे की पूर्ति के लिये किया गया क्योकि मैदानी स्तर एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों के सुसंचालन से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

कराना सुनिश्चित कराने के लिये यह आवश्यक है कि मैदानी एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों को तुरन्त भरा जायें । Last in first out नीति अपनाकर युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही जिले के भीतर ही की गई ताकि जिला चिकित्सालय से अतिशेष स्टाफ नर्स के द्वारा जिले में CH/CHC/PHC में कमी की पूर्ति की जा सकें। उक्त युक्तियुक्तकरण दिये गये निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए स्वास्थ्य आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश के अनुमोदन के पश्चात किया गया है ।

स्टाफ नर्स का कार्य–क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत कोई भी सरकारी कर्मचारी राज्य के अंदर किसी भी जिले में कार्य करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार किसी स्थान विशेष पर कार्य करने हेतु प्रशासन को बाध्य नही कर सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती रामेश्वरी दवने स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय बालाघाट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनॉक निल नियमानुसार एवं विधि सम्मत नही होने से अमान्य किया जाता है।

(डॉ. जे. विजय कुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 09/सेल–1/2019/826 भोपाल, दिनॉक 4/7/2019
प्रतिलिपिः–

1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल

2- महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश

3- संचालक, लीगल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश

4- क्षेत्रीय संचालक (लीगल) स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश

5- प्रभारी अधिकारी एवं उप संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.

6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट

7- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जिला बालाघाट

8- श्रीमती रामेश्वरी दवने, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय बालाघाट ।

9- प्रभारी एम.आइ.एस., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, कृपया उक्त आदेश को विभागीय साइड पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें ।

10-आदेश नस्ती

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ. जे. विजय कुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश